REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1150]नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2014/ ज्येष्ठ 7, 1936No.1150]NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2014/JYAISTHA 7, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2014

का.आ. 1393(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1521 (अ), तारीख 24 जून, 2010 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा**:-**

"91	उत्तर प्रदेश राज्य में अलीगढ़ से कानपुर खंड	किमी. 140.200 से	किमी. 414.000
		तक''	

[फा.सं. एनएच-14013/9/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश निदेशक, (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1521 (अ), तारीख 24 जून, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2014

S.O. 1393(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1521 (E), dated the 24th June, 2010 namely:—

"91	Aligarh to Kanpur section in the State of Uttar Pradesh	From Km. 140.200 to Km. 414.000."
		[F. No. NH-14013/9/2013-P&M]
		MAYA PARKASH, Director (P&B)

In the Table to the said notification, the following entries in respect of the State of Uttar Pradesh, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be substituted:-

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 1521 (E), dated the 24th June, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2014

का.आ.1394(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्यों का निष्पादन, प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार ऐसे कार्यों को उक्त अधिसूचना के तहत वर्तमान में प्रवर्तन नियमावली के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध होगी तथा इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 8 के लिए अनुसूची में और इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
'24	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2ए, सं.7, सं.11 [किमी 17.756 से किमी 42.525 को छोड़कर (आगरा–	उत्तर प्रदेश राज्य
	उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा) को छोड़कर], सं. 19, सं.24 [किमी 27.62 से किमी 488.27 तक	सरकार
	(हापुड़ और मुरादाबाद बाईपासों सहित गाजियाबाद – मुरादाबाद – बरेली- सीतापुर- लखनऊ)	
	को छोड़कर], सं. 24ए, सं.27 [किमी 0.000 (रारा सं.2 के किमी 211.700) से किमी 5.410	
	(रारा.27 का नया संरेखण) को छोड़कर], सं. 28 बी, सं. 28 सी, सं. 29, सं.56, सं.58 [किमी	
	52.250 से किमी 152.00 तक (मेरठ – मुजफ्फरनगर-उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा) को	
	छोड़कर], सं. 72ए, सं.73, सं.74, {किमी 264.000 से किमी 342.000 (काशीपुर –	
	सितारगंज – बरेली खंड) को छोड़कर], सं. 75, [किमी 90.00 से किमी 103.00 तक (मध्य	
	प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा से झांसी खंड) को छोड़कर], सं. 76, सं.86 [किमी 7.43 से किमी	
	130.100 तक (कानपुर से कबराई खंड) को छोड़कर], सं. 91 [किमी 23.600 से किमी	
	414.000 तक (गाजियाबाद-अलीगढ़-कानपुर खंड) को छोड़कर], सं.91ए, सं.92, सं.93 [किमी	
	0.00 से किमी 79.00 तक (आगरा-अलीगढ़ खंड) को छोड़कर] सं.96, सं.97, सं.119,	
	सं.232ए, सं.233, सं.235, नया सं. 330 ए, नया सं. 730, नया सं. 730ए, नया सं. 931	
	और नया सं.931ए का उतना भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है ।	

[फा.सं. एनएच-14013/9/2012-पीएंडएम] माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: प्रधान अधिसूचना को संख्या का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार इसमें संशोधन संख्या का. आ. **104**4 (अ) तारीख 7 अप्रैल, 2014 द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2014

S.O. 1394(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TA	BLE
----	-----

(1)	(2)	(3)
"24	So much of National Highways No.2A, No.7, No.11 [excluding from Km 17.756 to Km 42.525 (Agra - UP/Rajasthan Border)], No.19, No.24 [excluding from km. 27.62 to km. 488.27 (Ghaziabad – Moradabad-Bareilly-Sitapur-Lucknow including Hapur and Moradabad bypasses), No.24A, No.27 [excluding from Km. 0.000 (Km. 211.700 of NH No.2) to Km. 5.410 (new alignment of NH 27)], No.28B, No. 28C, No.29, No.56, No.58 [excluding from Km. 52.250 to Km. 152.00 (Meerut- Muzaffarnagar - Uttar Pradesh /Uttarakhand Border)], No.72A, No.73, No.74 {excluding from Km. 264.000 to Km. 342.000 (Kashipur-Sitarganj-Bareilly Section)}, No.75 [excluding from km. 90.00 to km. 103.00 (section from Madhya Pradesh/Uttar Pradesh border to Jhansi)], No.76, No.86 [excluding From km. 7.43 to km. 130.100 (Kanpur to Kabrai section)], No.91[excluding from km. 23.600 to km. 414.000 (Ghaziabad-Aligarh-Kanpur section)], No.96, No.97, No.119, No. 232A, No. 233, No. 235, New No. 330A, New No.730, New No. 730A, New No.931, and New No.931A as are situated within the State of Uttar Pradesh.	State Government of Uttar Pradesh".

[F. No. NH-14013/9/2012-P&M] MAYA PARKASH, Director (P&B)

Foot note: - The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1044 (E), dated the 7th April, 2014.